नरवाना शहर की पुलिस हिरासत में एक मौत

मेरे दोस्तों, हमारे समय का इतिहास
बस यही न रह जाए
कि हम धीरे-धीरे मरने को ही
जीना समझ बैठें

- पाश

8 नवंबर 1993 की शाम को नरवाना के सरकारी अस्पताल में 27 वर्षीय ज्ञानीराम को बेहोशी की हालत में लाया जाता है । डाक्टरों के मुताबिक उसकी यह दशा अनाज भंडार में इस्तेमाल होने वाले किसी कीटनाशक को खाने से हुई । करीब तीन घंटे के पश्चात् ज्ञानीराम का बयान दर्ज कर लिया जाता है – उसके भाई, एक डाक्टर और एक पुलिस कर्मी की मौजूदगी में । उसी रात को दो बजे के करीब ज्ञानीराम अपना दम तोड़ देता है । अगली सुबह SDM के घर व सिटी पुलिस थाने पर लोगों का विरोध प्रदर्शन होता है – उनका दावा है कि ज्ञानीराम की मौत पुलिस हिरासत में हुई है । इस विरोध का नतीजा यह होता है कि मृत शरीर को पोस्टमार्टम जाँच के लिए भेज दिया जाता है । और SDM को मजबूर होकर तहकीकात की शुरूआत करनी पड़ती है । इस तरह नरवाना की पुलिस हिरासत में मौत का पहला सफा खुलकर सामने आता है ।

पी. यू. डी. आर. ने इस मौत के क़ारणों की तहकीकात के लिए एक पाँच सदस्यीय टीम नरवाना भेजी । अपने दो दिन के दौरे के दौरान टीम ने ज्ञानीराम के परिवार, SHO सेवा सिंह मेहाला, SDM अनुराग रस्तोगी, सरकारी अस्पताल के SMO तथा अन्य डाक्टरों के साथ मुलाकात की । इसके अलावा टीम दो गवाहों तथा उन वकीलों, पत्रकारों और नरवाना के निवासियों से भी मिली जिन्होने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था ।

नरवाना, हरियाणा राज्य के जीन्द जिले का, तहसील मुख्यालय है जहाँ की कुल जनसंख्या 80,000 के लगभग है। इस शहर से करीब दस किलोमीटर के फासले पर एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है – करमगढ़ । ज्ञानीराम इसी करमगढ़ गाँव में, अपनी पत्नी रोशनी (23), अपने दो बच्चों रण्बीर (6) और जसबीर (3) के साथ रहता था । करमगढ़ गाँव जाति के आधार पर तीन टोलों में बँटा हुआ है । इस गाँव में 400 परिवार हैं । मुख्य टोले में वे परिवार हैं जो कृषि भूमि के मालिक हैं । इसके अलावा यहाँ 50 परिवारों का एक हरिजन टोला भी है – इनके पास खेती योग्य थोड़ी बहुत जमीने हैं ज़रूर पर वे पूरे परिवार का पेट पालने के लिए नाकाफी है । तीसरा वाल्मीकियों का टोला है जिनके पास खेती करने के लायक ज़मीन नाममात्र को भी नही है । ज्ञानीराम इसी टोले का सदस्य था । यहाँ के निवासी अपना तथा अपने परिवार का गुजर करने के लिए दूसरों के खेतों में या शहरों में दिहाड़ी पर काम करते हैं । ज्ञानीराम भी धमतान गाँव में पल्लेदारी का काम करता था । करीब डेढ़ साल पहले उसे कुछ महीनों के लिए नरवाना के सिटी थाने से जुड़े हुए सदर पुलिस थाने में लांगरी का काम मिला था । इसी दौरान उसका पहली मर्तबा पुलिस

से वास्ता पड़ा था , जो उसे काफी मंहगा साबित हुआ, यहाँ तक कि उसे आखिर में अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा ।

परिवार के मुताबिक, ज्ञानीराम को पुलिस पहले भी तीन बार पकड़ कर ले जा चुकी थी । पहली बार जब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी तो उसे तीन दिन तक पुलिस हिरासत में रहना पड़ा था और एक हजार रूपए की रिश्वत देकर ही उसे छुड़ाया जा सका था । 8 नवम्बर को ज्ञानीराम सुबह–सुबह ही घर से काम के लिए निकल पड़ा था , क्योंकि उस रोज उसे दिन में, किसी वक्त, दिवाली की खरीददारी करने नरवाना शहर जाना था । ज्ञानीराम के ऊपर नशीले पदार्थों का धंधा करने का इल्जाम लगाते हुए पकड़ लिया गया । उसे पकड़ते हुए एक रामफल नाम के व्यक्ति ने अपनी आँखो से देखा था और जिस आदमी ने उसे पकड़ा था बाद में पता चला कि वह शहर के पुलिस थाने का कांस्टेबल रूल्दा राम था । हालाँकि तलाशी के दौरान ज्ञानीराम के पास से किसी किस्म की नशीली दवाईयाँ बरामद नही हुई परंतु फिर भी रूल्दाराम उसे दो सौ गज दूर तक घसीटता हुआ थाने ले गया । अपनी मौत से पहले दिए गए बयान के मुताबिक उसे थाने में रूल्दाराम और हवासिंह लांगरी द्वारा बुरी तरह पीटा गया था; पिटाई के दर्द से कराहते हुए उसने पीने को पानी माँगा और रूल्दाराम ने उसे पानी के साथ दो गोलियाँ भी खाने को दी जिसे खाते ही उसने तुरंत उल्टी करनी शुरू कर दी । बाद में उसे अस्पताल पहुँचा दिया गया ।

नरवाना बस अड्डे के सामने ओमप्रकाश नामक व्यक्ति की एक किराने की दुकान है । 8 नवम्बर की शाम को वह अस्पताल में किसी डाक्टर से मिलने गया हुआ था जिसके न मिलने पर पर जिस घड़ी वह वापस लौट रहा था ठीक उसी घड़ी पुलिस एक जीप में ज्ञानीराम को लेकर अस्पताल पहुँचती है । इस जीप के साथ एक ASI , दो कांस्टेबल और एक ड्राइवर मौजूद थे । पुलिस इस बहाने से ओमप्रकाश को अपने साथ कर लेती है कि उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति को सड़क से उठाया है जिसके ईलाज के लिए शायद पैसों की ज़रूरत पड़े । ओमप्रकाश ने अस्पताल के रजिस्टर में अपना नाम यह कहते हुए लिखवाया कि वह ही उस आदमी को अस्पताल में लाया ज़रूर है परंतु वह उसके बारे में कुछ नही जानता । इस दौरान पुलिस ओमप्रकाश के साथ ही थी ।

उस समय करमगढ़ गाँव का एक व्यक्ति अपनी बीवी के ईलाज के सिलसिले में अस्पताल में ही मौजूद था । जब उसने ज्ञानीराम को पहचाना तो वह परिवार को इत्तला देने के लिए गाँव भागा । खबर सुनकर ज्ञानीराम का भाई मनफूल सिंह भी थोड़ी देर बाद अस्पताल पहुँच गया । इसी बीच, अस्पताल में डियूटी पर मौजूद डाक्टरों ने पुलिस थाने में दो संदेश भेजे । जब ज्ञानीराम को पर्याप्त तौर पर होश आया तो मनफूलसिंह ने उसका बयान दर्ज करने के लिए जोर डाला । डाक्टर, जिनसे बाद में हमारी टीम मिली, ने इस संबंध में पुलिस थाने फोन घुमाया । और पुलिस को दोषी ठहराता हुआ बयान दर्ज कर लिया गया । पाँच घंटे बाद ६ नवम्बर को सुबह दो बजकर पाँच मिनट पर ज्ञानीराम ने दम तोड़ दिया । SHO के पास सुनाने के लिए, हालाँकि एक अलग ही कहानी है । उनके अनुसार ज्ञानीराम को रूल्दाराम द्वारा इस शक पर लाया गया कि उसके पास नशीली दवाईयाँ थी । थाने पहुँचते ही ज्ञानीराम ने पीने के लिए पानी माँगा और कुछ गोलियाँ जेब से निकालकर निगल ली, जिन्हें खाते ही उसकी तबियत खराब होने लगी , यह देखकर रूल्दाराम और एक अन्य पुलिसवाला (जिसके बारे में SHO को कोई जानकारी नही है) उसे अस्पताल लेकर गए ।

SHO द्वारा गढ़ी गयी यह कहानी 11 नवम्बर को उन 11 लोगों द्वारा दिए गए बयान से काफी मिलती जुलती है जो कि उस समय पुलिस थाने में अपने किसी मसले को सुलझाने के लिए मौजूद थे । असल में उस रोज एक स्थानीय कॉलेज के छात्रों के दो गुट अपने बीच झगड़े के निबटारे के लिए वहां पर थे । यह गौरतलब बात है के इस तरह का बयान विरोधी गुट के किसी सदस्य ने दर्ज नही करवाया ।

पुलिस की यह कहानी कई सारे सुराखों और अंतर्विरोधों से भरी पड़ी है । जैसे कि ज्ञानीराम को पुलिस थाने में एक कांस्टेबल द्वारा लाया जाता है परंतु फिर भी थाने मे इसका कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है । उसे अस्पताल पुलिस के कारिंदे पहुँचाते है परंतु इसका कोई रिकार्ड न तो अस्पताल में मौजूद है और न ही पुलिस थाने के पास । SHO का दावा है कि पुलिस जानती थी कि ज्ञानीराम ने जहर खाया है परंतु फिर भी पुलिस ने "आत्महत्या की कोशिश" जैसा कोई केस दर्ज करने की जहमत उठानी जरूरी नहीं समझी । करीब घंटे भर के लिए अस्पताल रिकार्ड में मरीज को "बेनामो–निशान" दर्शाया गया लेकिन MLR के मुताबिक ज्ञानीराम को पुलिस के द्वारा लाया गया था । फिर मौत के वक्त दर्ज किए जाने वाले बयान को रिकार्ड करने के लिये किसी मजिस्ट्रेट को भी नही बुलाया गया हालाँकि ज्ञानीराम बयान देने के बाद भी पाँच घंटे तक जीवित था । इस तरह कि नौबत असल में इसलिए आन पडी क्योंकि पुलिस द्वारा गढ़ी गई दो तरह की कहानियाँ वजूद में आ चुकी थीं । पहली कहानी की यह कोशिश थी कि किसी तरह से पुलिस को ज्ञानीराम की मौत से बिलकुल अलग–थलग कर दिया जाए । परंतु मौत के वक्त दिए गये बयान तथा मौत के विरोधों के दवाब से सभी समीकरण जैसे उलट–पुलट से गए ।

विरोध प्रदर्शनों ने वाकई इस पुलिस हिरासत में हुई मौत के सच को सामने लाने मे अहम् भूमिका निभाई । ज्ञानीराम के परिवार के सदस्यों सहित तीन संगठनों ने 9 नवम्बर के विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया । विभिन्न जनसंगठनों को मिला जुलाकर एक जन संघर्ष समिति का गठन किया गया जिसने एक दिन पश्चात् एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया । कान्सटेबल रूल्दाराम और लांगरी हवासिंह के ऊपर धारा 328 और 34IPC लगाए गए जिसे बाद मे जनता के दबाव की वजह से धारा 302 में परिवर्तित किया गया । मुख्य अभियुक्त रूल्दाराम हालांकि तब से जमानत पर बाहर ही है ।

इन विरोधों को नाकारा ठहराने तथा मौत को ऊचित साबित करने के लिए ज्ञानीराम को दुष्चरित्र साबित करने की कोशिश की जा रही है : उसको थाने से उसकी नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि वह शराबी था; नशीली दवाईयों का धंधा करता था तथा हवासिंह की बीवी के साथ उसके अवैध संबध थे। अवैध संबध की बात से ही यह बेतुका तर्क निकलकर सामने आता है कि उसने लांगरी हवासिंह को अपनी हत्या के जुर्म में फसाने के लिए जहर की गोलियाँ खाई ।

ये तर्क उसी SHO द्वारा दिए गए जो कि इस केस की तहकीकात के लिए नियुक्त अफसर हैं । वे बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि दोनों ही अभियुक्त वास्तव में निर्दोष हैं। लेकिन उन्ही को इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल करनी हैं – अब जबकि उनका खुद का यह मानना है कि वे दोनो ही निर्दोष हैं तो ऐसी स्थिती में उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है । अभियुक्त खुद भी पुलिस से संबधित है और इस केस में जाँच करने वाले भी खुद पुलिस के लोग स्वयं है और उनकी पूरी कोशिश है कि दामन बचाकर साफ निकल

लिया जाए ।

पी. यू. डी. आर. ने पहले भी पुलिस हिरासत में मौतों की जाँच की है । परंतु ऐसा पहली बार देखने में आया है कि शुरू से मंशा हत्या करने की थी । हत्या का मकसद "अवैध सबन्धों" को बताया जा रहा है । इसके साथ – साथ कुछ इस तरह की अफवाहें भी गरम हैं कि मरने वाले को, थाने में चल रहे भ्रष्टाचार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर , जानकारी थी । कारण कुछ भी रहा हो परंतु जहर देकर मारना और उसके बाद उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना कम से कम उस दिशा की और संकेत तो करते नजर आते ही हैं ।

उपरोक्त सभी तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए पी. यू. डी. आर माँग करता है कि :

1. मौत के कारणों की जाँच के लिए एक न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए ।
2. SHO को निलंबित किया जाए ताकि सबूतों को मिटाने के लिए की जा रही कोशिशों को रोका जा सके ।
3. ज्ञानीराम की पत्नी को समुचित मुआवजे के साथ–साथ नौकरी भी प्रदान की जाए ।

पी० यू० डी० आर० दिल्ली–पुलिस की हिरासत में हुई मौतों के खिलाफ पिछले 10 वर्षों से लगातार आवाज उठाता रहा है । 1980 से लेकर आज तक हमने ऐसे कुल 75 से भी अधिक मामलों को अपनी रपटों में दर्ज किया है । ज्ञानी राम की मौत की कहानी भी इन 75 मौतों से कुछ खास अलग नही है । हिरासत में मौत हो जाने के बाद हर बार पुलिस मरने वाले व्यक्ति को दुष्चरित्र साबित करने में लग जाती है । और दुष्चरित्र व्यक्ति की, पुलिस द्वारा हत्या को हमारा समाज भी स्वीकृति दे देता है । जबकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके जुर्म कि सजा देने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है न कि पुलिस नामक इस सरकारी "सशस्त्र" संस्थान के पास । दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि हिरासत में हुई मौत अथवा यातनाओं को लेकर यदि सरकार किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करती भी है तो उसका कारण होता है जनता द्वारा प्रदर्शित किया गया जनाक्रोश, जैसा कि ज्ञानीराम की मौत के बाद हुआ । वरना एस० डी० एम० जाँच तो दूर रही ऐसी बहुत सी मौतों का किसी को पता तक नहीं चलने दिया जाता । इस प्रकार जनता का संगठित प्रदर्शन और संघर्ष ही जुल्म के खिलाफ लड़ाई का सबसे अचूक हथियार है जो किसी भी मामले में सरकारी तन्त्र को काम करने के लिए बाध्य करता हैं । और अन्त में हम यही कहना चाहेंगे कि "पुलिस हिरासत में मौत" सरकारी जुल्म का एक ऐसा मसला है जिसमें, अन्त तक न्याय–प्रक्रिया का अनुसरण करते रहने के कुछ दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं । इस अनुसरण–प्रक्रिया में जनवादी ताकतें जब थकान अनुभव करने लगती हैं, संघर्ष को उसी मोड़ से आगे ले जाना सबसे अधिक जरुरी होता है । जनवादी हकों को पाने के इस संघर्ष में आईए हम साथ मिलकर आगे बढ़ें ।

प्रकाशक : सचिव, पीपुल्स यूनियन फॉर डैमोक्रेटिक राइट्स

सहयोग राशि : 1 रु०

फरवरी, 1994